संख्या–742/79–6–2016–1(2)/2012

प्रेषक,

देव प्रताप सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 03 जून, 2016

विषय–प्रदेश के कतिपय जनपदों में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से संचालित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1112/79–6–2012–1(2)/2012 दिनांक 28.09.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद–लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा एवं कन्नौज तथा शासन के पत्र दिनांक 29.12.2014 द्वारा जनपद–वाराणसी एवं इटावा के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से केन्द्रीयकृत किचेन में मशीनीकृत, साफ एवं स्वच्छ तरीके से निर्मित पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया था।

2– इस सम्बन्ध में आपके पत्र सं0–म0भो0प्रा0/10558/2015–16 दिनांक 29.02.2016 के साथ संलग्न मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अक्षयपात्र फाउन्डेशन के पत्र दिनांक 18.02.2016 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 28.09.2012 के प्रस्तर–19 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन के माध्यम से जनपद–गाजियाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर एवं अम्बेडकर नगर में भी 01 लाख स्कूली बच्चों को केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से गरम पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराये जाने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है।

कृपया तदनुक्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/न्याय/माध्यमिक शिक्षा/खाद्य एवं रसद/आवास/नगर विकास/राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

Mail ✓2– जिलाधिकारी, गाजियाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर एवं अम्बेडकर नगर को शासनादेश दिनांक 28.09.2012 की छायाप्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि शहर के समीप प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था अक्षयपात्र फाउन्डेशन को 02 से 03

एकड़ भूमि का चिन्हांकन कर आख्या/प्रस्ताव तत्काल शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

mail ✓3— मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अक्षयपात्र फाउण्डेशन गोपालगढ़ छटीकरा, रोड मथुरा, उ0प्र0।

4— शिक्षा निदेशक (बेसिक)/माध्यमिक, उ0प्र0 लखनऊ।

✓5— नगर आयुक्त, गाजियाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर एवं अम्बेडकर नगर।

mail ✓6— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजियाबाद, इलाहाबाद, जौनपुर एवं अम्बेडकर नगर।

आज्ञा से,

(अमिताभ त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।